

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर, सिणधरी


क्रमांक:- ग्रा. से.शि/2025/ 385

प्रकरण सं.:- 273/2025
दिनांक:- 21/10/25

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी दावा व मू.अ. नि. श्री. का. व. ग. त. सिंह की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम दावा, ऊचिया तहसील सिणधरी व जिला बालोतरा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 228 व 120 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	दावा	228	313, 359, 573	मी. ग. सिंह डी.	मी. ग. लाल डी.
02	ऊचिया	120	1414/221 1416/1076 1418/1076	रि. इ. म. लाल सिंह	रि. इ. म. लाल सिंह


(समदरसिंह भाटी)


पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी

दिनांक:- 21/10/25

क्रमांक:- सम./2025/ 386-388
प्रतिलिपि:-

- तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
- प्रार्थी मी. ग. लाल / रि. इ. म. लाल सिंह दावा तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
- रक्षित पत्रावली।




उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी